कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–1026/XXV– 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 06 जुलाई, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

1–लोक सूचना अधिकारी,
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

2–समस्त लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त अनुरोधकर्ता श्रीमती मीनू पत्नी श्री मोनू निवासी सिकरोढा, डाक खास, तहसील भगवानपुनर, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 12.06. 2023 जो दिनांक 03.07.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	बिन्दु संख्या	सूचना से सम्बन्धित लोंक सूचना अधिकारी
1	01	लोक सूचना अधिकारी,विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2	02	समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।

अतः उक्त अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

पृ0संख्या–1026 /XXV– 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि श्रीमती मीनू पत्नी श्री मोनू निवासी सिकरोढा, डाक खास, तहसील भगवानपुनर, जिला– हरिद्वार, को उनके अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या–01 के सम्बन्ध में कार्यलय में धारित लोक सभा निर्वाचन 2019 से सम्बन्धित निर्वाचित सदस्यों की सूची 01 पेज मे संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंन्तुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता उपरोक्त है, अपील दायर कर सकते हैं।

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

प्राप्त– 4/07/23

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध करायें।

महोदय,

1. उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित के लिए जो विधानसभा एवं लोकसभा आरक्षित है उसका नाम एवं 2022 में चुने गये विधायकों/सांसदो का नाम, पते, मोबाइल नम्बर, एवं उनके राजनीतिक दल का नाम बताये जाये।

2. लोकसभा चुनाव 2019 एवं विधानसभा चुनाव 2022 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर जो विधायक/सांसद निर्वाचित हुये हैं उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें जाये।

नोट– शुल्क एवं फोटो कॉपी शुल्क के लिए 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सं0 56F 967902 आपकी सेवा में प्रस्तुत है अतिरिक्त शुल्क की यदि आवश्यकता होगी तो प्रार्थीया जमा करने को तैयार है।

दिनांक– 03.07.2023

प्रार्थीया

मीनू

मीनू पत्नी मोनू निवासी सिकरौढा डाक खास तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार। मोबाइल नं0–9837785708

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

कार्यालय : जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

कचहरी परिसर, देहरादून–248001

Tel-0135 2624216 e-mail-dmcumdeoddn1@gmail.com

संख्याः– 799 /25-10/2023 दिनांक 14 /07 /2023

पंजीकृत

सेवा में,

श्रीमती मीनू पत्नी श्री मोनू,
निवासी सिकरोढा डाक खास,
तहसील–भगवानपुर,
जिला–हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र संख्या–1026 दिनांक 06.07.2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03.07.2023 के द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नवत् है–

बिन्दू संख्या–2– के क्रम में अवगत कराना है कि 01 टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नही है इसलिए जनपद में लोक सभा निर्वाचन–2019 के लिए अनुसूचित जाति सीट से संबंधित सूचना शून्य है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 20 राजपुर रोड (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या–763 दिनांक 07.07.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु अवगत कराया गया है।

संलग्न यथोक्त (कुल 01 पृष्ठ)।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।
मो.नं. 7579202999

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

कार्यालय : जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

कचहरी परिसर, देहरादून–248001

Tel-0135 2624216 e-mail-dmcumdeoddn1@gmail.com

763

संख्याः– 763 /25-10/2023 दिनांक 7 /7 /2023

पंजीकृत

सेवा में,

श्रीमती मीनू पत्नी श्री मोनू
निवासी सिकरोढा डाक खास,
तहसील–भगवानपुर,
जिला–हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना–अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र दिनांक 04.07.2023 के द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नवत् है–

बिन्दू संख्या–1–के सापेक्ष इस जनपद में अनूसूचित जाति के लिए 20 राजपुर रोड (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सीट आरक्षित है, जिसमें विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के चुनाव में श्री खजान दास विधायक-निर्वाचित हुए है।

बिन्दू संख्या–2– से संबधित सूचना के कुल 12 पृष्ठ धारित हैं, जिन्हें उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार ₹ 02.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल ₹ 24.00 (चौबीस) मात्र का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

बिन्दू संख्या–3– से संबधित सूचना के कुल 14 पृष्ठ धारित हैं, जिन्हें उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार ₹ 02.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल ₹ 28.00 (₹ अठाईस) मात्र का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

उक्त से संबधित सूचना के कुल 26 पृष्ठ धारित है, जिन्हे उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार ₹ 02.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल ₹ 52.00 (₹ बावन) मात्र का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

इसके अतिरिक्त आप उक्त से संबंधित सूचना CEO की वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in पर निःशुल्क देख व प्राप्त कर सकते है।

उक्त धनराशि को बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक, जो विभाग के आहरण वितरण अधिकारी (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून) के नाम देय हो अथवा उक्त अतिरिक्त शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के माध्यम से भी संदाय किया जा सकता है।

अतः मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता– उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।
मो.नं. 7579202999

अनुलग्नक—10

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या—616 / 29—9 / (सू0अ0अ0)2023 दिनांक 13 जुलाई, 2023

सेवामें,

मीनू पत्नी मोनू
निवासी सिकरोढा डाक खास
तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार—247661
उत्तराखण्ड

विषय— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या—1026 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03.07.2023 जो इस कार्यालय में 06 जुलाई, 2023 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनपद की आरक्षित विधान सभा / लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है।

उक्त पत्र के कम में अनुरोध में चाही गयी बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है,—

बिन्दु संख्या—1,2 जनपद रूद्रप्रयाग की दोनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (07—केदारनाथ एवं 08—रूद्रप्रयाग में कोई भी विधान सभा आरक्षित नहीं है, तथा उक्त दोनों विधान सभा 02 गढ़वाल ससदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत समाहित है।

अतः उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते है। जिनका नाम व पता निम्नवत है।

प्रथम अपीलिय अधिकारी का नाम व पता—
श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी
अपर जिलाधिकारी /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

भवदीय

(धीरज कुमार)
लोक सूचना अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि— 1—लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून उनके पत्र पत्र संख्या—1026 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/2023

लोक सूचना अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

पंजीकृत।

संलग्नक–10 अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता–जिला निर्वाचन कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक : 531 / 29–6(सू0अधि0) / 2023 दिनांक : 11 जुलाई, 2023

सेवा में,

मीनू पत्नी मोनू
निवासी सिकरोढा डाक खास
तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्या–1026 / XXV-12(P-14)/2021 दिनांक 06 जुलाई 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03.07.2023 जो इस कार्यालय को दिनांक 07 जुलाई 2023 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत बिन्दु संख्या–02 में चाही गयी सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध करायी जा रही है।

1–लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के लिए नामांकन प्रक्रिया जिलाधिकारी देहरादून (रिटर्निंग ऑफिसर) के कार्यालय में किया जाता है। निर्वाचित हुए अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून से प्राप्त किया जायेगा।

2– विधान सभा–2022 में इस जनपद की 09–घनसाली(आ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए अनुसूचित जाति के श्री शक्ति लाल शाह जी का जाति के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की रही है।

उक्त के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप असन्तुष्ट हों तो सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

(एस0एल0शाह)
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता :–
श्री कृष्ण कुमार मिश्रा
अपर जिलाधिकारी /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि: अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय पत्र संख्या–1026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पंजीकृत

संलग्नक–10

(अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।

पत्र संख्याः– 352/29–07/सू0अ0अ0/2023 दिनांक 10 जुलाई, 2023

प्रेषित,

श्रीमती मीनू पत्नी श्री मोनू निवासी
सिकरोढ़ा, डाक खास, तहसील भगवानपुर
जिला–हरिद्वार

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1026 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 07 जुलाई, 2023 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–बिन्दु संख्या–02 पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त पत्र के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना बिन्दुवार/संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।
बिन्दु संख्याः 2 – कुल पृष्ठ–2 संलग्न।

उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप सन्तुष्ट नही हैं तो प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील दायर कर सकते है, जिनका नाम व पता निम्न है।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नाम व पता

श्री चन्द्र सिंह मर्तोलिया
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलैक्ट्रट परिसर, अल्मोड़ा।

(भरत सिंह रावत)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा।
दूरभाष नम्बर–05962–230010

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराण्ड देहरादून के उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

10-7-23

(भरत सिंह रावत)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़।

पत्रांक 323/उन्तीस–1(41)/2021 दिनांक 10 जूलाई,2023

सेवा में,

श्रीमती मीनू पत्नी मोनू
निवासी सिकरोढ़ा,
डाक खास तहसील भगवानपुर,
जिला–हरिद्वार।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र संख्या 1026/XXV–12(P-14)/2021 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र 12–06–2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 06 जुलाई 2023 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा बिन्दु संख्या 02 पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्दे"ा दिये गये है। जिसकी सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या–02 इस जनपद की 45–गंगोलीहाट(अ0जा0) आरक्षित सीट है, जिसके विधायक श्री फकीर राम है, जिनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

उक्त सूचना से यदि असन्तुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़।
मो0नम्बर–05964 225202

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।
मो0नम्बर,–9759212857

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1026/XXV-12(14)/2021 दिनांक 6–07–2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी
पिथौरागढ